

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलज जज
 बनाम
 मु. सं.

17.12.21

पत्रावली पेश हुई। वादी ने उम्मीदवादी के
 उपस्थित होकर निवेदन किया कि वे
 इस पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही
 नहीं कराना चाहते हैं। अतः
 पत्रावली को ~~Not~~ Press किया।
 अतः यह पत्रावली वादी उम्मीदवादी
 का ~~Not~~ Press स्वीकार किया
 जाकर इसी स्तर पर बंद की
 जाती है। पत्रावली फौजल सुमार होकर
 बाद नम्बर से कम की जाकर
 दायित्व दफ्तर है। निर्णय सुले
 न्यायालय में सुनाया गया।

Not Press
 17/12/21

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डाकर (दोष)